कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

दिनांक-22 -03-2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-01/अ-82/2015-16,चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः-

अनुसूची

भूमि का प्रकार									धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम /प.ह.न.	खसरा नंबर			क्षेत्रफल (हे0 में.)				
1	2	3	4			5			6	7
रायगढ़	पुसौर	ठेंगापाली प.ह.न 30	ख.न.	रकबा	ख.न.	रकबा	ख.न.	रकबा	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन
			265/1	0.049	281/1घ	0.047	281/2झ	0.069		
			265/2	0.049	281/1ङ		282/1	0.020		
			265/3	0.329	281/1च	0.008	282/2	0.020		
			265/4	0.065	281/1छ	0.008	282/3	0.089		
			266	0.246	281/1ज	0.008	320	0.255		
			268/1	0.032	281/2क	0.053	321/1	0.190		
			269	0.154	281/2ख	0.028	322/1	0.008		
			279/2	0.304	281/2घ	0.057	322/3	0.081		
			280	0.384	281/2ङ	0.053	323/1	0.085		
			281/1क/1	0.039	281/2च	0.024	324/1	0.166		
			281/1ग	0.065	281/2छ	0.024	327	0.100		
			281/1ग/1	0.036	281/2ज	0.008	कुल खसरा 35 कुल रकबा 3.153 हे0			

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधान निर्धारण के निष्कर्ष के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला रायगढ़ को पुनर्वास और पुनर्व्यवसथापन प्रशासक नियुक्त किया गया।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अलरमेलमंगई डी.)
कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रतिहस्ताक्षर
भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)